आदेश की सं0 तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।
पी0ए0 वाद सं0– 17/2018–19
आवेदक– चन्दन मुर्मू
बनाम
16 आना रैयत, मौजा– गुटीबेड़ा
आदेश

19.7.19

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 11.10.2018 को आवेदन दाखिल कर मौजा गुटीबेड़ा के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी, तालझारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी एवं 16 आना रैयतों से अनापत्ति आमंत्रित हेतु को विधिवत नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस तामिला प्राप्त। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन दाखिल कर कहा है कि आवेदक चन्दन मुर्मू के पिता– स्व0 अर्जून मुर्मू, सा0– गुटीबेड़ा अंचल– तालझारी जिला– साहेबगंज को पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा दिनांक 30.10.2006 में 15 वर्षो के लिए मौजा गुटीबेड़ा में प्रधान पद पर नियुक्त किये थे और प्रधानी पद पर वर्ष 2016 तक ईमानदारीपूर्वक कार्य करते रहे। आवेदक के पिता स्व0 अर्जून मुर्मू की मृत्यू दिनांक 30.07.2016 को होने के बाद से मौजा के प्रधान पद रिक्त है। आवेदक पूर्व प्रधान के बड़े पुत्र है और पढे– लिखे शिक्षित बेरोजगार है एवं पूर्व प्रधान के उत्तराधिकारी है। पूर्व प्रधान स्व0 अर्जून मुर्मू की पत्नी भी अपने बडे पुत्र चन्दन मुर्मू को प्रधान बनाना चाहती हैं। आवेदक पूर्व प्रधान के उत्तराधिकारी के रूप में विधिक रूप से बडे पुत्र दावेदार है। अतएव आवेदक को उत्तराधिकारी के आधार पर प्रधान पद पर नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 475/रा0, दिनांक 19.07.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि मौजा गुटीबेड़ा प्रधानी वो चिरागी मौजा है। आवेदक चन्दन मुर्मू, पिता– स्व0 अर्जून मुर्मू पूर्व बहाल प्रधान स्व0 अर्जून मुर्मू का पुत्र है। ग्रामीणों एवं रैयतों से पुछताछ करने पर ग्रामीणों द्वारा आवेदक को प्रधान पद पर बहाली हेतु सहमति जताई गई है। आवेदक चन्दन मुर्मू पिता– स्व0 अर्जून मुर्मू की वंशावली निम्न प्रकार हैः–

अर्जून मुर्मू
- शुना मुर्मू, RT (मृत)
  - नायकी मुर्मू (मृत)
    - मंडल मुर्मू
- लेंगडा मुर्मू, प्रधान RT (मृत)
  - चन्दन मुर्मू (मृत)
    - अर्जून मुर्मू, मृत (बहाल प्रधान)
      - चन्दन मुर्मू (आवेदक)
      - वली मुर्मू
      - नायकी मुर्मू

Scanned with CamScanner

वंशावली से स्पष्ट है कि आवेदक चन्दन मुर्मू पूर्व बहाल प्रधान स्व0 अर्जून मुर्मू के पुत्र है एवं खतियानी रैयत के वंशज से आते हैं, जो शिक्षित एवं प्रधानी कार्य करने में सक्षम है तथा 16 आना रैयतों को भी आवेदक चन्दन मुर्मू के प्रधान बनने से कोई आपत्ति नहीं है। अतएव आवेदक चन्दन मुर्मू को प्रधान पद पर बहाल करने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं 16 आना रैयतों की आपत्ति के अभाव में तथा उत्तराधिकारी के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 06 के तहत् मौजा गुटीबेड़ा के प्रधान पद पर आवेदक चन्दन मुर्मू को बहाल किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

ज्ञापांक 313/रा0
दिनांक 29-7-19

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक चन्दन मुर्मू के द्वारा कबुलियत दाखिल किया गया है। पट्टा निर्गत करें।

अनु0 पदा0
राजमहल।

Chandan Murmu